


२६<sup>३</sup> पत्रावली पेश । वकील पार्थी व पार्थी को  
बार - बार आवाज लगाई गई । बार - बार  
आवाज लगाने के पश्चात भी पार्थी व  
वकील पार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं आए

अतः छापी का आवेदन 136 RTI Act अधिन  
हापरी अधिन पैरवी मे खारिज किया  
जाता है पत्रावली फंसल शुमार होकर  
नम्बर से कम होकर बाखिल دفتر हो।

  
सपखण्ड अधिकारी दातारामगढ